

20.8.25

वादी अधीवक्ता उपरिचर, / उपरिचरि
 संख्या 2 व 3 के वही उपरिचर /
 उपरिचरि संख्या 04 के वही उपरिचर /
 उपरिचरि संख्या 1 व 5 (उत्तरवक्ता) वही
 उपरिचरि ने निवेदन किया कि वादी, लखी
 गौदनामा के संख्या 12 पर वाउ लाया है।
 उक्त गौदनामा को निविदा न्यायालय द्वारा
 निर्णय दिनांक 06.12.2024 के द्वारा गौदनामा
 निरस्त कर दिया गया है। उक्त फाटो वाउ
 खरीदने के लिए वादी वही ने
 निवेदन किया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध
 गौदनामा उक्त न्यायालय कोचपुर में अपील
 पेश की गई है। लखी ने स्वगत आदेश
 की वारिस से गमा है उक्त कारण उक्त
 रहेगा!

इसने उक्त वक्त अधीवक्ताओं को सूना
 और पत्रावली का क्रमबद्ध किया।
 निवेदन प्राप्त कि माननीय न्यायालय लखी
 गौदनामा अधीवक्ता से गौदनामा संख्या 10/2016
 निर्णय एवं दिनांक 06.12.2024 के द्वारा
 गौदनामा दिनांक 01.11.2021 को निरस्त किया
 गया है उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राज्य
 उक्त न्यायालय कोचपुर में अपील संख्या 102/25
 में आदेश दिनांक 18.2.25 द्वारा खारिज आदेश
 जारी हो रहा है। इसी विवादित आराखी के
 संरक्षण में माननीय उक्त न्यायालय में उक्त विवादित
 होने के कारण हस्तगत आदेश में कार्यवाही अवरुद्ध
 रही है। निवेदन उक्त की कार्यवाही को समाप्त

सहायक क्लर्क
 (S.D.O.) बालोतरा

ख
म

हुकम या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

क्रिडा आता है तथा मां १५५५. उक्त तामील
कोचपुर से उक्त निहाण के काड जारी
कार्यवाही / सुनवाई हेतु पेरी पर गतिमा आवेंगा।
अतः पत्रावली कारखाना दफ्तर को


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा